and will terminate on 31-3-1982. It is repayable in 17 years in equal half-yearly instalments beginning from January, 1982 and carries a rate of interest of 7.5 per cent per annum.

For the first time $20 Million have been earmarked for modernising and upgrading of telecommunication manufacturing industry. Indian Telephone Industry gets $10.3 Million Hindustan Cables Ltd. $7.5 Million and Hindustan Teleprinters Ltd. $2.2 Million.

¶ 60 Million have been earmarked for the purchase of raw-materials and components by I.T.I., Hindustan Cables Ltd. and Hindustan Teleprinters Ltd. The remaining $40 Million is for procurement of finished goods, like switching equipment, Transmission equipment, Instruments for Training, Testing and Research and Plant and Machinery and raw-materials for P and T Workshops.

Area under Forest

3613. SHRI ABDUL AHAD VAKIL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the total area under forest in the country State-wise details thereof;

(b) how much land has been brought under forest during 1977-78 State-wise; and

(c) what kind of forest based industries have come in the State of J. & K. during 1977-78?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). Necessary information is being collected from the States and Union Territories and will be placed on the Table of the Lok Sabha in due course.

Absence of Public Conveniences in Karampura, New Delhi

3614. SHRI DAJIBA DESAI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there is no public urinals available in Madan Park, Chunnamal Park and Manohar Park in Ward No 89, Karampura, New Delhi and the public is facing great inconvenience;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) the time by which Government proposes to provide this facility?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) There is no public urinal in these colonies.

(b) These are un-authorised colonies.

(c) Regularisation of these colonies has to be taken up along with that of all the colonies in Delhi. The programme is a big one and has to depend on the availability of funds. It is, therefore, not feasible to lay down a time-limit for these particular colonies

Filter Water Connections in Ramesh Park, Delhi

3615. SHRI EDUARDO FALEIRO: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Minister is aware that in Ramesh Park area in Lakshminagar in trans-Yamuna area of Delhi, where people have been living for more than 10 years and paying house tax, no filter water connections have been given so far and no pucca roads have been laid and as a consequence, insanitary conditions prevail in the entire colony;

(b) whether he is also aware that as there are no outlets for drain water in the colony, mud pools have developed promoting mosquito breeding; and

(c) if so, what are the steps being taken to improve the living conditions of the colony and when filtered water is expected to be provided there?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) to (c). Ramesh Park in Laxmi Nagar is an unauthorised colony in trans-Yamuna area of Delhi. The Municipal Corporation of Delhi have reported that they are making limited arrangements for brick flooring, approach road, and earth filling. As water mains do not exist near this colony, it will not be possible to provide filtered water to it in the near future.

चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना

3616. **श्री युवराज :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई-क्षमता को बढ़ा कर दुगना कर देने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या कृषि क्षेत्र के लिए कम से कम 18 प्रतिशत अतिरिक्त विद्युत् प्रजनन का आरक्षण करने का निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को कृषि प्रयोजनों के लिह सप्लाई की जाने वाली बिजली में न्यूनतम कटौती करने की सलाह दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। मध्यावधि योजना 1978–83 के प्रारूप के अनुसार 1978–83 के दौरान बड़ी और मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं से 170 लाख हैक्टार क्षेत्र की सिंचाई करने की क्षमता सृजित करनें का प्रस्ताव है, जब कि पांचवीं योजना (1974–78) के दौरान 80 लाख हैक्टार क्षेत्र की अनुमानित उपलब्धि हुई थी।

(ख) सृजित की जाने वाली अतिरिक्त बिजली को कृषि क्षेत्र के लिए आरक्षित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, लघु सिंचाई के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सितम्बर, 1978 में हुए अखिल भारतीय सम्मेलन में निम्नलिखित सिफारिश की गई है —

"इस समय कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की खपत में भारी असंतुलन है। दूसरी ओर, अनियमित और नियंत्रित सप्लाई के कारण बिजली की सप्लाई प्रणाली से कई क्षेत्रों में किसानों का विश्वास उठता जा रहा है। सम्मेलन का विचार है कि जब तक नई परियोजनाओं से पैदा की जाने वाली बिजली का एक न्यूनतम प्रतिशत एक मात्र कृषि प्रयोजनों के लिए निर्धारित करने की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक केवल अतिरिक्त बिजली के सृजन से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई की समस्या का समाधान करने में सहायता नहीं मिलेगी।"

(ग) भारत सरकार ने कृषि पम्प-सेटों के लिए बिजली की सप्लाई में प्राथमिकता देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। तथापि, बिजली की कमी के कारण कुछ राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ घण्टों के लिए बिजली की सप्लाई में कटौती कर नी पड़ती है। सुनिश्चित विद्युत् सप्लाई बनाए रखने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए उपाय अनुबन्ध में दिए गए हैं।

विवरण

1. राज्य योजना संसाधनों में से धनराशि के आवंटन में सिंचाई कार्यक्रम की आवश्यकता को प्राथमिकता देना।

2. प्रक्रियाओं को सरल एवं सुचारु बना कर संस्थागत निवेश के प्रवाह की गति को अधिक से अधिक तेज करना, वसूली की स्थिति में सुधार के लिए सुव्यवस्थित एवं अनवरत प्रयास करना, आवेदनों का मौके पर तत्काल निपटान करने के लिए स्थानीय अभियानों का आयोजन करना, आदि।

3. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, जहां और अधिक विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक सम्भाव्यताएं मौजूद हैं, भूमिगत जल विकास कार्यों को तेज करने पर विशेष बल देना।

4. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को यथा सम्भव अधिक से अधिक बढ़ाना। पम्पसैटों को बिजली प्रदान करने के लिए कार्यक्रम को तेज करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाने की दृष्टि से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिस के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, कृषि पुनर्वित्त विकास निगम तथा वाणिज्यिक बैंक संयुक्त रूप से धन प्रदान करेंगे।

5. उन क्षेत्रों में जहां छोटे किसान अधिक हो और जहां गैर-सरकारी नलकूपों की प्रगति की सम्भावनाएं कम हैं, वहां सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी नलकूपों पर अधिक बल देना। सरकारी नलकूपों का, जिनमें सुधार करने की अभी काफी गुंजाइश मौजूद है, बेहतर प्रबन्ध एवं उपयोग करने पर अधिक बल —